नैनीताल रिट याचिका सं. उत्तरखंड के उच्च न्यायालय में। 2008 का 1084 (एम/एस)

नदीम अहमद , स/ओ रहीस अहमद, र/ओ राजमहल होटल कम्पाउन्ड, मल्लीताल, नैनीताल । याचिकाकर्ता

बनाम

मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून और अन्य के माध्यम द्वारा उत्तराखंड राज्य। प्रतिवादीगण

श्री H.S। ढिल्लन, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।श्री U.K. उनियाल, श्री शोभित सहरिया के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 2 और 3.श्री K.P। उपाध्याय ने अतिरिक्त C.S.C विद्वान। राज्य के लिए।

तिथि 08 जुलाई, 2008।

माननीय बी. अस. वर्मा जे।

श्री H.S। ढिल्लन, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री K.P। उपाध्याय ने अतिरिक्त C.S.C सीखा। राज्य के लिए और श्री U.K. उनियाल, श्री शोभित सहरिया के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या के लिए विद्वान अधिवक्ता। 2 और 3.

पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

स्वीकार करें।

याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई हैः

(i) मानवतावादी आधार पर प्रश्न परिसर को खाली करने के लिए याचिकाकर्ता को 5.8.2008 तक का समय देने के लिए प्रतिवादी को परमादेश देते हुए अनिवार्य रूप से एक रिट या निर्देश जारी करना।

(ii) किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश को ढालने और जारी करने के लिए जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझता है।

याचिकाकर्ता ने इस तथ्य के लिए पूरक हलफनामा भी दायर किया है और पूरक शपथ पत्र के पैरा 3 में कहा गया है किः

"कि याचिकाकर्ता एतद्द्वारा इस माननीय न्यायालय को वचन दे रहा है कि याचिकाकर्ता उक्त परिसर को 5-8-2008 द्वारा स्वयं खाली कर देगा और याचिकाकर्ता उत्तराखंड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के से प्रदान की गई अपील के से पसंद नहीं करेगा।"

पूरक शपथ पत्र के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित याचिकाकर्ता द्वारा किए गए वचन और रिट याचिका में किए गए अनुरोध को देखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।हालाँकि, याचिकाकर्ता को दिनांकित 28.6.08 के विवादित नोटिस के अनुपालन में सील किए जाने के लिए प्रतिवादी प्राधिकरण को शांतिपूर्ण यद्यपि खाली कब्जे को सौंपने के लिए 15.8.08 तक का समय दिया जाता है।

सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

(B.S। वर्मा, जे.) 8-7-2008

एमके